एस डी ओ राइट

6-7-1) आवेदक द्वारा की गई शिकायत में वर्णित प्रार्थी का मूलवाद विषय से सम्बन्धित अन्तरिम आदेश का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकृत किया जाता है परन्तु न्यायालय को अन्तरिम दर्शित हुआ की जाकी विषय में अभिलेख व सुनवाई पश्चात।